कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

UTTARAKHAND

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181 Phone and Fax No. 01379-258327
Website- http://pwd.uk.gov.in E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :– 516 / 10 CMWT दिनांक– 27/04/2024

सेवा में,

वनसंरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के विकास खण्ड–भिलंगना मे बालगंगा नदी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बालगंगा महाविद्यालय को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.085 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/47739/2020)

सन्दर्भ :– कार्यालय वनसंरक्षक भगीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती का पत्रांक–1244/12–1 मुनिकीरेती, दिनांक– 28.12.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

27/4/24

(इं0 डी0 सी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

पत्रांक —/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– 01 प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वनप्रभाग , नई टिहरीको सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

Scanned with OKEN Scanner

FP/UK/ROAD/47739/2020

| क्र0 सं0 | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | विषय सूची में पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है। | पृष्ठों की संख्या क्रमबद्ध अंकित कर दी गयी है। |
| 2 | उपजिलाधिकारी स्तरीय सयुंक्त निरीक्षण आख्या, प्रारूप–6 में उपजिलाधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है। | इस खण्ड क्रमांक में त्रुटियों को पूर्ण कर दिया गया है। |
| 3 | आपके द्वारा चस्पा संयुक्त निरीक्षण में 108 वृक्षों का प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची में 163 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। कृपया स्पष्ट करें। | इस खण्ड़ क्रमांक में संयुक्त निरीक्षण में सुधार कर दिया गया है। |
| 4 | प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश प्रारूप 21 में वृक्षों की संख्या 64 दर्शायी गई है, जबकि अन्य प्रपत्रों में वृक्षों की संख्या 163 दर्शायी गई है। | इस खण्ड़ क्रमांक में प्रारूप –21 में 0–10 व्यास के पेडों की संख्या का कॉलम नहीं है इसी वजह से '' 10–20 से लेकर 90 से अधिक'' व्यास वाले वृक्षों की संख्या दर्शायी गई है। जो कि 64 है। इस प्रकार कुल 163 वृक्ष है, जिसमें 0 से 10 के बीच में 99 वृक्ष आ रहे है। |
| 5 | प्रारूप–22, बांज वृक्षो के प्रमाण पत्र में अधोहस्ताक्षरी का निरीक्षण हेतु सूचना प्रेषित नहीं की गई है। कृपया स्पष्ट करे। | इस खण्ड क्रमांक में प्रमाण पत्र को अधोहस्ताक्षरी कर दिया गया है। |
| 6 | प्रारूप–25, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आई.टी. सेल, उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त कर तदानुसार प्रारूप–25 में हवाई दूरी का आकलन चस्पा करें। | इस खण्ड क्रमांक हवाई दूरी को प्रमाण पत्र के साथ–साथ डीएसएस की दूरी की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है। |
| 7 | प्रारूप–30, जिलास्तरीय समिति में स्थान तथा दिनांक अंकित नहीं की गयीं है। | इस खण्ड क्रमांक में त्रुटियों का पूर्ण कर दिया गया है। |
| 8 | प्रारूप–30.1, उपखण्ड स्तरीय समिति में उप प्रभागीय वनाधिकारी का नाम, पत्रांक, दिनांक एवं समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित नहीं किया गया है। | इस खण्ड क्रमांक में त्रुटियों का पूर्ण कर दिया गया है। |
| 9 | क्षतिपूरक नवीनीकरण के जी.आई.एस. मानचित्र में राजस्व विभाग के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। | इस खण्ड क्रमांक में त्रुटियों का पूर्ण कर दिया गया है। |
| 10 | प्रभावित क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधारीकरण/पुनर्जनन हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक FC/11/43/2021-FC दिनांक 16–01–2023 के अनुसार प्रस्ताव के रैखिक होने के फलस्वरूप परियोजना लागत का 2% का वन्यजीव मिटीगेषन प्लान एवं 0.5% का मृदा एवं जल संरक्षण प्लान उपलब्ध कराया जायेगा तथा सहायतित प्राकृतिक किये जायेंगे। | इस खण्ड क्रमांक के पालन में उपक्रम (Undertaking) संलग्न की जा रही है। |

Scanned with OKEN Scanner

| | | |
|---|---|---|
| 11 | प्रमुख वन संरक्षण,(HoFF). उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 612/26–1 देहरादून, दिनांक– 06–12–2023 से जारी निर्देषों के अनुपालन में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मलबें के निस्तारण हेतु समस्त तकनीकी एवं जैविक/वानस्पातिक मानकों को सम्मिलित करते हुए तर्कसंगत विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जानी है, जिसमें वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में वर्णित ''मलवा निस्तारण प्लान'' इस प्रकार बनाये जाये कि भविष्य में यह स्थल एक Utility spot के रूप में भी विकसित किया जा सकें। साथ ही यह भी सुनिष्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में यह मलवा एक Sliding Zone में ना परिवर्तित हो और ना ही यह नीचे बहने वाली नदी–नालों में जाये। | आपके कार्यालय द्वारा आपेक्षित है। |
| 12 | एन.पी.वी. का आंकलन त्रुटिपूर्ण है। कृपया संषोधित आंकलन चस्पा करें। | आपके कार्यालय द्वारा आपेक्षित है। |
| 13 | वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में चस्पा प्रपत्रों को प्रारूपवार चस्पा किया जाये। | इस खण्ड क्रमांक में त्रुटियों को पूर्ण कर दिया गया है। |

27/5/24

**अधिशासी अभियन्ता,**

अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली

Scanned with OKEN Scanner

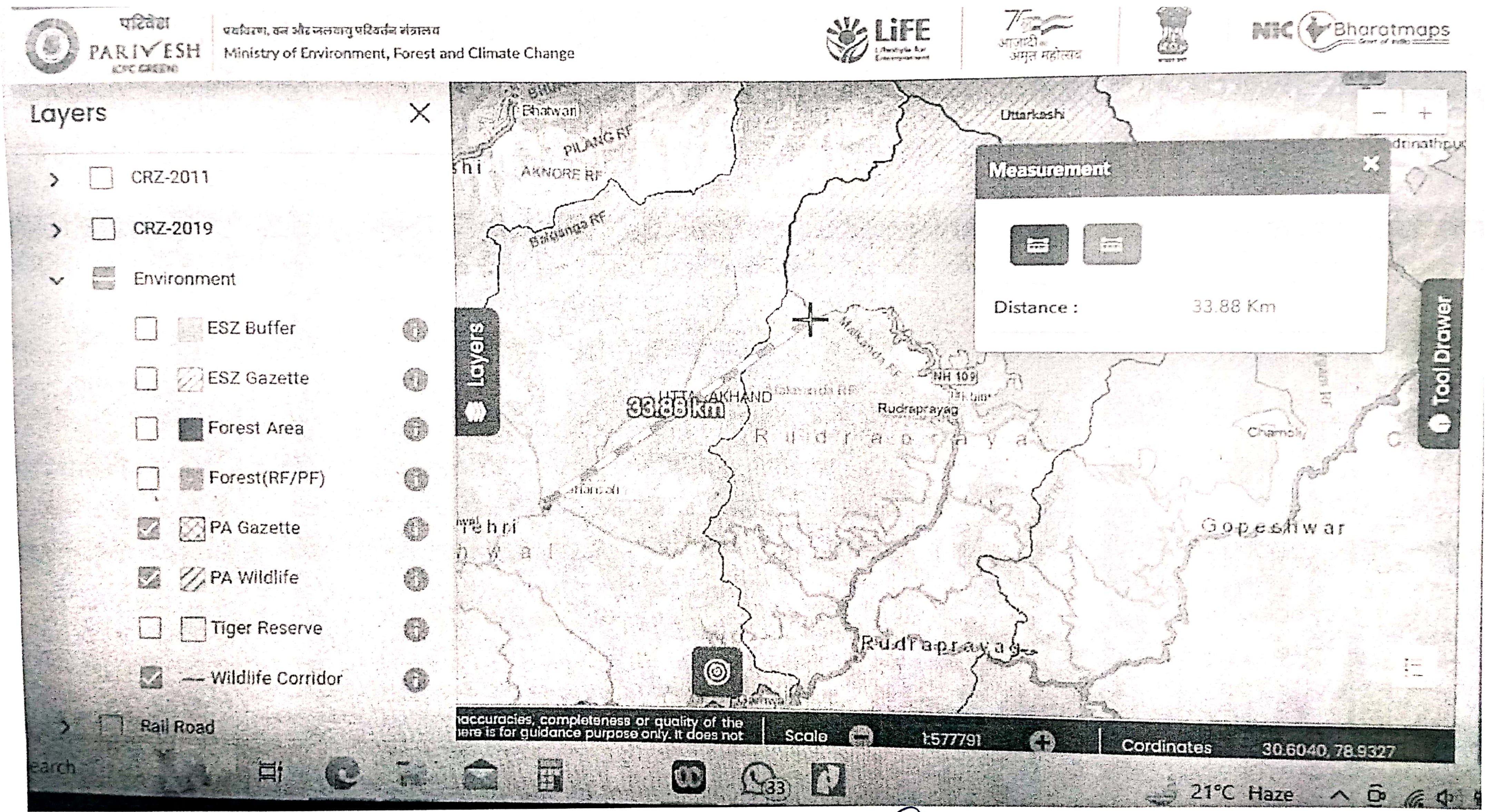


AE
T.D.P.W.D.
Ghansali

अधिशासी अभियन्ता
अ०खं०, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार